



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

भू-प्रबन्ध विभाग एवं जागीर विभाग
राजस्थान, जयपुर

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2021-22

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

आमुख

राजस्व प्रशासन में भू—प्रबन्ध विभाग एवं भू—प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा भू—प्रबन्ध संक्रियाओं के माध्यम से सर्वेक्षण, पुनः सर्वेक्षण एवं तरमीम सर्वेक्षण कर राज्य के भू—अभिलेख एवं राजस्व नक्शों को अद्यतन करने का कार्य किया जाता है। इस कार्य से विभिन्न राजकीय विभागों की भूमि आधारित विभिन्न योजनाओं यथा नहर, सड़क, पुल, रेल्वे लाईन, बांध आदि आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका रही है अपितु काश्तकारों की भूमि सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण में भी भू—प्रबन्ध विभाग का सहयोग रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त भूमि—सीमांकन सम्बन्धी जटिल प्रकरणों में विभाग द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है। विभाग के आधुनिकीकरण के क्रम में 4 वर्कस्टेशन की स्थापना की जाकर उन में सम्पूर्ण राज्य के नक्शों की स्कैनिंग तथा स्केल परिवर्तन का कार्य किया गया है। वर्तमान में आधुनिक तकनीक से सर्वेक्षण/अभिलेखन कार्य की जाँच का कार्य विभाग के चारों वर्कस्टेशन पर किया जा रहा है। विभाग के मुख्यालय पर भू—प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान भी संचालित हैं, जिसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा, तहसीलदार सेवा के अधिकारीगण एवं अमीन/पटवारियों को समय—समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। राष्ट्रीय भू—अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत नोडल विभाग की भूमिका में इस विभाग द्वारा राज्य के भू—अभिलेख कम्प्यूटराईजेशन, मॉडर्न रिकॉर्ड रूम तथा पंजीयन कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण में समन्वयक का कार्य किया गया।

वर्तमान में राज्य के कुल 13 जिलों में सर्वेक्षण कार्य आधुनिक तकनीक सर्वेक्षण/अभिलेखन हेतु कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं।

मुझे आशा है कि भू—प्रबन्ध विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2021–22 समस्त सम्बन्धितों के लिए उपयोगी एवं सार्थक सिद्ध होगा।

(आनन्द कुमार)
प्रमुख शासन सचिव
राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
भू—प्रबन्ध विभाग
विभाग का संक्षिप्त प्रतिवेदन

प्रस्तावना:-

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां की आबादी का बहुत बड़ा भाग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित उद्योग—धन्धे रोजगार के महत्वपूर्ण साधन है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण की निरन्तर प्रवृत्ति, भूमि के स्वरूप में परिवर्तन भूमि हस्तान्तरण, पंजीयन, वित्तीय एवं भूमि आधारित योजनाओं की क्रियान्विति के सन्दर्भ में भू—अभिलेखों का निरन्तर, सही आदिनांक होना नितान्त आवश्यक है। कृषकों का भूमि सम्बन्धी रिकार्ड सही तरीके से आदिनांक होना अत्यन्त आवश्यक है। भू—अभिलेखों का आदिनांक करने सम्बन्धी कार्य भू—अभिलेख विभाग द्वारा सम्पादित किया जाता है। विभाग द्वारा सर्वेक्षण, पुनः सर्वेक्षण एवं सम्बन्धित भू—अभिलेख का कार्य समय—समय पर सम्पन्न कराया जाता रहा है। यद्यपि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भू—राजस्व राजकीय आय का कोई महत्वपूर्ण भाग नहीं है, फिर भी भूमि समस्त आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र बिच्छु है।

विभाग का संगठन:-

भू—प्रबन्ध विभाग राजस्थान, जयपुर के विभागाध्यक्ष का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा का है जिसका पदनाम भू—प्रबन्ध आयुक्त एवं पदेन निदेशक, भूमि एकीकरण, राजस्थान जयपुर के नाम से जाना जाता है। भू—प्रबन्ध संक्रियाओं के अधीन क्षेत्र के लिए भू—प्रबन्ध आयुक्त पदेन निदेशक भू—अभिलेख है। भू—प्रबन्ध आयुक्त के अधीन कार्य के सफल संचालन के लिए एक पद अतिरिक्त भू—प्रबन्ध आयुक्त का है। इसी प्रकार वर्तमान में 11 भू—प्रबन्ध अधिकारी कार्यालय जयपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, टोंक, सीकर एवं कोटा मुख्यालय पर कार्यरत हैं। भू—प्रबन्ध अधिकारियों के पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा के हैं। भू—प्रबन्ध अधिकारियों की सहायता हेतु राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 6 एवं राजस्थान तहसीलदार सेवा के 37 सहायक भू—प्रबन्ध अधिकारी के पद स्वीकृत हैं। विभाग में 16 सदर मुन्सरिम, 178 निरीक्षक स्वीकृत हैं, तथा 715 भू—मापकों के पद स्वीकृत थे, किन्तु राजस्व (ग्रुप—6) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 द्वारा राजस्थान राजस्व (भू—अभिलेख, भू—प्रबन्ध एवं उपनिवेशन विभाग) अधीनस्थ सेवा नियम, 2019 दिनांक 21.11.2019 से लागू किये जाने पर इस विभाग में सृजित भू—मापक एवं निरीक्षक के रिक्त पदों को डाईंग कैडर (Dying Cadre) घोषित किए जाने के फलस्वरूप इस विभाग में 702 पद पटवारियों के पदनाम से नवसृजित किये जाने पर उक्त पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है।

भू—प्रबन्ध विभाग में मुख्यालय स्तर पर वर्कस्टेशन एवं भू—प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की हुई है। अतिरिक्त भू—प्रबन्ध आयुक्त, भू—प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान के पदेन प्रभारी प्राचार्य है। उक्त प्रशिक्षण संस्थान का बजट भी पृथक से आवंटित था, किन्तु दिनांक 01.03.2002 से उक्त वर्कस्टेशन एवं भू—प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान मुख्य कार्यालय में समायोजित हो जाने से अतिरिक्त भू—प्रबन्ध आयुक्त का पद नाम अतिरिक्त भू—प्रबन्ध आयुक्त एवं पदेन प्रधानाचार्य, भू—प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान हो गया है। उक्त प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण हेतु एक पद राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी का प्रशिक्षक का स्वीकृत है।

भू—प्रबन्ध कार्यवाहियां :—

राज्य में भू—प्रबन्ध का कार्य तहसील क्षेत्र के ग्राम स्तर पर सम्पन्न कराया जाता है। राज्य में कुल 369 तहसीलों में से 5 तहसीलों की भू—प्रबन्ध संक्रियाएं बन्द घोषित करवाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये हुए हैं। शेष तहसीलों के अधिकांश ग्रामों का कार्य पूर्ण हो चुका है। आंशिक ग्रामों का कार्य जैरकार चल रहा है जिनकी कार्य स्थिति निम्नानुसार है :—

भू—प्रबन्ध संक्रियाधीन तहसीलों में कार्य की स्थिति का व्यौरा

(सूचना संकलन दिनांक 01.01.2021—31.12.2021)

क्र. सं.	नाम भू—प्रबन्ध अधिकारी पार्टी	जिला	तहसील	कुल ग्राम	क्लोजिंग ग्राम	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	जयपुर	दौसा	लालसोट, रामगढ़—पचवारा	323	100	100 ग्रामों का रिकार्ड राजस्व एजेन्सी को सुपुर्द, 221 ग्रामों को यथास्थिति में बंद करने के प्रस्ताव एवं 2 ग्रामों के पूर्णतया बंद के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये हुए हैं।
2.	अजमेर	अजमेर	किशनगढ़, अराई, रूपनगढ़	177	—	175 ग्रामों में तरमीम/सर्वेक्षण कार्य पूर्ण है। कार्य विभिन्न स्तर पर जैरकार। 2 ग्राम घनी आबादी के कारण सर्वे से शेष हैं। यथा स्थिति बन्द के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये हुए हैं।
3.	भरतपुर	भरतपुर	बैर, भुसावर	162	160	160 ग्रामों का रिकार्ड राजस्व एजेन्सी को सुपुर्द। 2 ग्राम बदर के कारण जैरकार।
			रूपवास	164	159	159 ग्रामों का रिकार्ड राजस्व एजेन्सी को सुपुर्द। 3 ग्रामों के बंद के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किए हुए हैं। 2 ग्राम बदर के कारण जैरकार।
4.	बीकानेर	बीकानेर	लूनकरणसर	119	118	1 ग्राम में अभिलेखन कार्य जैरकार एवं 118 ग्रामों का रिकार्ड राजस्व एजेन्सी को सुपुर्द।
			बीकानेर	13 (12+1)	5	शेष 8 ग्रामों में कार्य विभिन्न स्तर पर जैरकार।
5.	सीकर	नागौर	डीडवाना	198	197	1 ग्राम के बंद के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किए हुए हैं।
			मकराना	137	—	24 ग्रामों में तरमीम/सर्वेक्षण पूर्ण, शेष ग्रामों में कार्य जैरकार।
6.	कोटा	बारां	किशनगंज	213	207	6 ग्रामों का कार्य विभिन्न स्तर पर जैरकार है।
7.	अलवर	अलवर	मुण्डावर	147	142	5 ग्रामों का कार्य विभिन्न स्तर पर जैरकार है। 1 ग्राम के बंद के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किए हुए हैं।
			किशनगढ़बास	115	—	29 ग्रामों की मिसल बन्दोबस्त तैयार, शेष 86 ग्रामों का कार्य विभिन्न स्तर पर जैरकार। यथा स्थिति बन्द के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये हुए हैं।
8	टोंक	सवाई माधोपुर	खण्डार	134	—	85 ग्रामों में सर्वे/तरमीम कार्यवाही पूर्ण। कार्य विभिन्न स्तर पर जैरकार। 49 ग्रामों में सर्वे/ तरमीम कार्य शेष विड्डा हेतु प्रस्तावित है।
			बौंली (मलारनाडूगर)	180	179	भेडोली पुनः सर्वे हेतु मार्गदर्शन चाहा गया है। 1 ग्राम मलारना ढूंगर का अभिलेखन कार्य शेष।
9.	जोधपुर	सिरोही	रेवदर	—	—	अभिलेखन कार्य शेष है।

वर्कस्टेशन:-

सर्वे-रिसर्वे के अन्तर्गत राज्य में 13 जिलों जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, चूरू, बाड़मेर, टोंक, हनुमानगढ़, झालावाड़, गंगानगर, राजसमंद, बांसवाड़ा, बीकानेर व अजमेर में कार्यरत संस्थाओं द्वारा मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध कराये जाने वाले सॉफ्ट डाटा की जांच एवं उक्त डाटा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर कार्यकारी संस्थाओं व संबंधित भू-प्रबन्ध कार्यालयों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान कराने में सहयोग का कार्य किया। डीआईएलआरएमपी योजनान्तर्गत सर्वे-रिसर्वे का आवश्यक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रशिक्षण भू-प्रबन्ध विभाग व राजस्व कार्मिकों को दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा बिन्दु सं 195 की पालना में विभाग द्वारा आधुनिक सर्वे यंत्र डीजीपीएस मशीन क्रय किये जाने में तकनीकी व अन्य आवश्यक सहयोग प्रदान कर उपापन की कार्यवाही की गई। डीजीपीएस मशीन की आपूर्ति पश्चात् सभी भू-प्रबन्ध कार्यालयों को मशीन उपलब्ध करवाते हुए भू-प्रबन्ध कार्यालय के कार्मिकों एवं राजस्व कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया।

विभिन्न विभागों के मांगपत्रों पर स्कैनमैप/डिजिटाइज्ड मैप, जियो रेफरेन्स डिजिटाइज्ड मैप विभागाध्यक्ष के अनुसोदन उपरान्त शुल्क/निशुल्क डिस्क्लेमर के साथ उपलब्ध करवाया गया।

भू-संसाधन विभाग, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत जीआईएस लैब के अन्तर्गत आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की उपापन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रशिक्षण:-

भू-प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान, मुख्यालय जयपुर द्वारा डिजिटल इण्डिया लैण्ड रेकॉर्ड मॉर्डनाइजेशन कार्यक्रम योजना अनुसार राज्य में प्रशिक्षण एवं योग्यता अभिवर्द्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत अवधि 01.01.2021 से 31.12.2021 तक आधुनिक सर्वे यंत्रों ई.टी.एस., डीजीपीएस, जीआईएस एवं डिजिटाइजेशन जाँच हेतु प्रशिक्षण दिया गया। उक्त अवधि में भूमापक, निरीक्षक, पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक कुल 1051 को प्रशिक्षण दिया गया है।

आर.टी.आई (प्रथम अपील):-

भू-प्रबंध आयुक्त कार्यालय में प्रथम अपील अवधि 01.01.2021 से 31.12.2021 तक कुल 22 अपील प्रकरण प्राप्त हुए हैं जिनमें से 19 प्रकरणों का यथासमय निस्तारण किया जा चुका है, 3 अपील प्रकरण निस्तारण से शेष हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आर.टी.आई) :-

भू-प्रबंध आयुक्त कार्यालय में दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 तक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कुल 287 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 280 का यथासमय निस्तारण किया जा चुका है। 7 आवेदन निस्तारण से शेष हैं।

Digital India Land Record Modernization Programme

भारत सरकार द्वारा सन 1988–89 में संचालित दो योजनाओं क्रमशः भू—अभिलेखों का कम्प्युटरीकरण एवं राजस्व प्रशासन में सुदृढ़ीकरण तथा भू—अभिलेखों का आदिनांकीकरण योजनाओं को समेकित कर वर्ष 2008–09 में राष्ट्रीय भू—अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का स्वरूप प्रदान किया गया। तत्समय यह योजना केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित थीं। वर्ष 2016–17 में इस योजना को नवीनीकृत स्वरूप में Digital India Land Record Modernization Programme (DILRMP) प्रोग्राम नाम दिया जाकर इस योजना को भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2016 से 100 प्रतिशत वित्त पोषित किया जा चुका है।

डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकॉर्ड मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) के अन्तर्गत निम्नांकित तीन एजेन्सियों द्वारा कार्य किया जा रहा है:—

1. राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान, अजमेर।
3. भू—प्रबन्ध विभाग राजस्थान, जयपुर।

एन.आई.सी. (NIC) द्वारा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की महत्वपूर्ण परिवर्तनात्मक एवं दूरदर्शी पहल Digital India Land Record Modernization Programme (DILRMP) योजना भू—प्रबन्ध विभाग के माध्यम से निष्पादित की जा रही है। आमजन को प्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक लाभ पहुंचाने एवं राजस्व कर्मियों के उपयोग हेतु विभिन्न ऑनलाईन सुविधाएं यथा सॉफ्टवेयर (मोबाईल एप एवं वेब पोर्टल) विकसित करवायी गई हैं। DILRMP योजना अंतर्गत कार्य प्रगति निम्नानुसार है:—

1. भू—अभिलेख का कम्प्युटरीकरण :—

वर्तमान में राज्य की कुल 369 (339 पुरानी एवं 30 नवसृजित) तहसीलों में से कुल 321 (312 पुरानी एवं 09 नवसृजित) तहसीलों के भू—अभिलेख को आमजन के उपयोग हेतु ऑनलाईन किया जा चुका है। वर्तमान में राज्य के कुल 33 जिलों में से 21 जिलों (झुंझुनू सीकर, चुरू, जयपुर, श्रीगंगानगर, धौलपुर, प्रतापगढ़, जैसलमेर, अजमेर, झालावाड़, बांसवाड़ा, जालौर, कोटा, उदयपुर, राजसमंद, अलवर, डूंगरपुर, नागौर, बूंदी, भरतपुर एवं भीलवाड़ा) की समस्त तहसीलों में भू—अभिलेख को ऑनलाईन किया जा चुका है।

2. सर्वे/रिसर्वे :-

डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकॉर्ड मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य के 13 जिलों (जयपुर, टोंक, झालावाड़, भीलवाड़ा, जोधपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, बाड़मेर, चुरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर एवं अजमेर) का सर्वे/रिसर्वे कार्य आधुनिकतम सर्वे पद्धति HRSI (High Resolution Satellite Imagery) एवं सर्वे उपकरणों जैसे ETS/DGPS के माध्यम से किया जा रहा है।

उक्त 13 जिलों में से 11 जिलों (जयपुर, टोंक, झालावाड़, भीलवाड़ा, जोधपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, बाड़मेर, चुरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर) व अजमेर जिले की 4 तहसीलों (पुष्कर, पीसांगन, नसीराबाद एवं अजमेर) में मौके पर ग्राउण्ड कंट्रोल पॉइंट की स्थापना कर उपग्रह से प्राप्त छायाचित्रों की मदद से ऑर्थोरेकिटफाइड नक्शे तैयार किये जाने के उपरान्त सर्वे-रिसर्वे कार्य प्रगति पर है। भू-प्रबन्ध विभाग में फील्ड स्टाफ की कमी के कारण सर्वे-रिसर्वे कार्य वर्तमान में राजस्व स्टाफ से करवाया जा रहा है, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.9(126) राज-6/2012/16 जयपुर दिनांक 12.02.2021 के अनुसार संबंधित उपखण्ड अधिकारी को अतिरिक्त भू-अभिलेख अधिकारी एवं संबंधित तहसीलदार को सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी नियुक्त किया गया है। सर्वे-रिसर्वे की नवीन गाईडलाइन राज्य सरकार की स्वीकृति से जारी की जा चुकी है तथा तदनुसार कार्य करने हेतु 13 तहसीलों के राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों तथा भू-प्रबन्ध विभाग के कार्मिकों प्रशिक्षित कर आगामी 4 माह में इन तहसीलों में सर्वे-रिसर्वे का कार्य किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सर्वे-रिसर्वे का कार्य 6 बाह्य संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। राज्य के शेष 22 जिलों में सर्वे-रिसर्वे कार्य करवाये जाने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.02.2020 को दी गई है।

3. मॉर्डन रिकॉर्ड रूम :-

राज्य की समस्त तहसीलों में राजस्व रिकॉर्ड को व्यवस्थित रूप से संधारित रखने हेतु आधुनिक अभिलेखागार (मॉर्डन रिकॉर्ड रूम) विकसित किये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत सिविल कार्य आईटी एवं अन्य आधुनिक उपकरणों की स्थापना तथा पुराने दस्तावेजों की स्कैनिंग से संबंधित कार्य निम्नानुसार कुल 4 चरणों में करवाया जा रहा है—

प्रथम चरण के अन्तर्गत सिविल वर्क, विद्युतीकरण एवं टाईलिंग/पेन्टिंग का कार्य, द्वितीय चरण के अन्तर्गत कॉम्प्यूटर, कैबिनेट, फायर रेटेड डोर, अग्निशामक यंत्र, फर्नीचर एवं एयरकंडीनशर का कार्य, तृतीय चरण के अन्तर्गत कम्प्यूटर, सर्वर, बायोमैट्रिक प्रणाली, प्रिंटर, यूपीएस, टेपड्राइव एवं कार्टरिज की स्थापना एवं चतुर्थ चरण के अन्तर्गत भू-अभिलेखों की इंडेक्सिंग एवं स्कैनिंग का कार्य किया जा रहा है।

वर्तमान में राज्य की कुल 339 तहसीलों में से 254 तहसीलों में तीन चरणों तक तथा 17 तहसीलों में चतुर्थ चरण तक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, शेष तहसीलों में कार्य जारी है तथा 38 (8 पुरानी एवं 30 नवसृजित) तहसीलों में आधुनिक अभिलेखागार विकसित किये जाने हेतु भारत सरकार को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु प्रस्ताव भिजवाये जा चुके हैं।

4. उप पंजीयक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण :-

वर्तमान में राज्य के कुल 539 उपपंजीयक कार्यालयों को RajNet/RSWAN के माध्यम से जोड़ा जा चुका है एवं गत दस्तावेज स्कैनिंग की प्रक्रिया प्रगति पर है।

योजना के अंतर्गत राज्य के 539 उप पंजीयक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण करवाया जा रहा है। गत वर्षों के पंजीयन दस्तावेजों को स्कैन करवाया जा रहा है ताकि आमजन को सुगमता से प्रतिलिपियां जारी की जा सके। राजस्व कार्यालयों एवं उप पंजीयक कार्यालयों के मध्य connectivity स्थापित की गई है तथा कृषि भूमि से संबंधित प्रत्येक पंजीकृत दस्तावेज की प्रति ऑनलाईन संबंधित राजस्व कार्यालय को प्राप्त हो रही है।

5. स्वतः नामान्तरकरण :-

कृषि भूमि की बेचान के साथ ही पंजीयक विभाग द्वारा संबंधित तहसील को पंजीकृत दस्तावेज ऑनलाइन हस्तांतरित किया जाता है तथा ऐसे प्रत्येक बेचान का स्वतः नामान्तरण प्रारूप-21 में संबंधित तहसीलदार को प्राप्त हो जाता है तथा निर्धारित प्रक्रिया उपरान्त नामान्तरण ऑनलाइन किया जाता है।

स्वतः नामान्तरण प्रायोगिक तौर पर जयपुर जिले की चौमूँ व दूदू तहसीलों का चयन कर दिनांक 26.04.2019 को आरम्भ किया गया था, जिसके उपरांत दिनांक 15.10.2020 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ई-लोकार्पण कर जिला जयपुर की अन्य तहसीलों में भी उक्त प्रावधान को प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्तमान में राज्य की समस्त ऑनलाइन तहसीलों में स्वतः नामान्तरण प्रक्रिया को प्रारम्भ कर दिया गया है।

6. कृषि ऋण रहन पोर्टल :-

काश्तकारों को कृषि ऋण सुगमता से उपलब्ध कराने हेतु उक्त पोर्टल को बनाया गया है जिसमें काश्तकार की mortgage application को बैंक के द्वारा अग्रेषित करने एवं म्यूटेशन लगाने से लेकर ऋण मुहैया कराने तक की समस्त कार्यवाही ऑनलाईन ही की जा रही है।

दिनांक 26.06.2019 को राजस्व विभाग द्वारा इस पोर्टल को झुन्झुनू जिले में प्रारम्भ किया गया था। जिला जयपुर की समस्त ऑनलाईन तहसीलों में उक्त पोर्टल को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 15.10.2020 को ई-लोकार्पित किया गया। दिनांक 31.12.2021 तक कुल 49,641 से अधिक आवेदन इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो चुके हैं।

क्र.स.	जिला का नाम	कुल तहसील	कुल नामांतरण	लम्बित नामान्तरणों की स्थिति			कुल इन्द्राज से शेष	कुल निस्तारित
				पटवारी स्तर पर	भू.निरी.अभि. स्तर पर	तहसीलदार स्तर पर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	झुंझुनू	9	30690	307	129	464	900	29790
2.	जयपुर	17	18951	299	160	219	678	18273
कुल		26	49641	606	289	683	1578	48063

7. धरा एवं राजस्व अधिकारी मोबाईल एप :-

धरा मोबाईल एप का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्रीजी के द्वारा 19.08.2019 को किया गया था जिससे आम काश्तककार भी अपने भू-स्वामित्व संबंधी जानकारी ऑनलाईन देख सकता है। धरा एप के माध्यम से आमजन ऑनलाईन तहसीलों की भूमि से संबंधित जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, पदरथापित राजस्व अधिकारियों की सूची इत्यांदि मोबाईल के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं।

राजस्व कार्मिकों द्वारा राजस्व कार्यों का संपादन व प्रकरणों के निस्तारण करने यथा ऑनलाईन गिरदावरी करने हेतु राजस्व अधिकारी मोबाईल एप्लीकेशन विकसित की गई है, जिसके माध्यम से प्रान्त की खरीफ, रबी व जायद-रबी फसलों की गिरदावरी ऑनलाईन ही प्रविष्ट की जाती है।

8. ऑनलाईन गिरदावरी :-

गत तीन वर्षों से फसल गिरदावरी को उस समय की ऑनलाईन तहसीलों में मोबाईल एप के माध्यम से दर्ज किया गया। हाल ही में खरीफ फसल की गिरदावरी समस्त ऑनलाईन तहसीलों में निर्धारित समय पर की गई। दिनांक 15.10.2020 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सम्वत् 2077 की खरीफ फसल से ऑनलाईन गिरदावरी की प्रक्रिया में तहसीलदार स्तर से ई-साईन का प्रावधान किया गया है जिसके उपरांत ऑनलाईन माध्यम से आमजन द्वारा निर्धारित शुल्क अदा कर गिरदावरी की प्रमाणित ई-हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त की जा रही है।

क्र.सं.	फसल गिरदावरी सम्बत	वर्ष	तत्समय कुल ऑनलाईन तहसीलें जिनमें ऑनलाईन गिरदावरी कार्य किया गया
1	खरीफ सम्वत् 2076	2019–20	144
2	रबी सम्वत् 2076	2019–20	184
3	जायद सम्वत् 2076	2019–20	184
4	खरीफ सम्वत् 2077	2020–21	240
5	रबी सम्वत् 2077	2020–21	265
6	जायद सम्वत् 2077	2020–21	265
7	खरीफ सम्वत् 2078	2021–22	302

9. नामान्तरण प्रति (P-21) :-

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 18.12.2020 को नामान्तरणों की प्रमाणित ई-हस्ताक्षरित प्रति ई-मित्र या ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त करने की सुविधा आमजन हेतु ई-लोकार्पित की गई है।

10. जमाबंदी की प्रमाणित प्रति :-

आमजन द्वारा विभिन्न ऑनलाईन माध्यमों से जमाबंदी की ई-हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

11. ऑनलाईन नामांतरण :-

माननीय राजस्व मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 01.01.2020 को ऑनलाईन नामांतरकरण आवेदन प्रस्तुत करने हेतु apnakhata.raj.nic.in पोर्टल पर विमोचन किया गया। वर्तमान में यह सेवा ई-मित्र के माध्यम से उपलब्ध है।

राजस्थान भू—अभिलेख आधुनिकीकरण सोसायटी:-

ग्रामीण विकास मंत्रालय भू—संसाधन विभाग भारत सरकार नई दिल्ली के अद्वृशासकीय पत्र क्रमांक 13014 / 4 / 2007—LPD दिनांक 02.08.2011 द्वारा DILRMP के तहत सोसायटी के गठन के संबंध में गाईडलाइन जारी की गई। प्रमुख शासन सचिव राजस्व इसके अध्यक्ष एवं भू—प्रबंध आयुक्त इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। जिसके अन्तर्गत राजस्थान भू—अभिलेख आधुनिकीकरण सोसायटी का गठन दिनांक 02.12.2011 को हुआ है। सोसायटी में निम्नलिखित पद राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हैं:—

1. कन्सलटेंट	— 2
2. प्रोग्रामर	— 1
3. लेखाकार	— 1
4. सहायक	— 1
5. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	— 1
6. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	— 1

न्यायालय भू प्रबन्ध आयुक्त

अपीलों का निस्तारण:—

- 1 जनवरी 2021 में 35 अपील प्रकरण विचाराधीन थे, जिसमें से दिनांक 31.12.2021 तक 1 प्रकरण का निस्तारण हो चुका है एवं 1 नया प्रकरण प्राप्त हुआ है। 35 अपील प्रकरण शेष हैं।

रेफरेन्स प्रकरण

- 01.01.2021 में 42 रेफरेन्स प्रकरण विचाराधीन थे। दिनांक 31.12.2021 तक 5 नये रेफरेन्स प्रकरण प्राप्त हुए हैं, कुल 47 रेफरेन्स प्रकरण शेष हैं।

अनुशासनात्मक कार्यवाही:—

विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच प्रकरण सीसीए नियम—16 के अन्तर्गत 1 जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर 2021 तक 10 प्रकरण लम्बित थे। दिसम्बर 2021 तक कुल 6 प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है। वर्तमान में 4 प्रकरण शेष हैं।

सीसीए नियम—17 के अन्तर्गत 01.01.2021 से 31.12.2021 तक 4 प्रकरण लम्बित थे। दिसम्बर 2021 तक कुल 3 प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है। वर्तमान में 1 प्रकरण शेष है।

गंभीर अनियमितता के मामले में वर्तमान विभाग के 04 कार्मिक निलम्बित चल रहे हैं।

ओल्ड रिकार्ड शाखा:-

विभाग की ओल्ड रिकार्ड शाखा में काश्तकारों द्वारा नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 तक कुल 6679 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 6524 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है, 155 आवेदन पत्र शेष हैं।

पदोन्नति की वर्तमान स्थिति वर्ष 2021–22

क्र.सं.	पदोन्नत पद	डीपीसी.वर्ष
1	निरीक्षक से सदर मुंसरिम	पदोन्नति हेतु पात्र कार्मिक नहीं है।
2	भू-मापक से निरीक्षक	भूमापकों/निरीक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची 2019 से 2021–22 तक प्रसारित की जा चुकी है। 2019 एवं 2020–21 की पदोन्नति दिनांक 23.12.2021 को तथा 2021–22 की पदोन्नति 10.01.2022 को हो चुकी है।
3	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से प्रशासनिक अधिकारी	पदोन्नति हेतु पात्र कार्मिक नहीं है।
4	2019 से 2021–22 तक सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की पदोन्नति 23.12.2021 को आयोजित की जा चुकी है।
5	2019 से 2021 तक वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी	वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति की बैठक 10.01.2022 को हो चुकी है।
6	कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक	2019 से 2021 तक कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक की अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 09.12.2021 को प्रसारित की जा चुकी है, पदोन्नति समिति की बैठक नियत की जानी है।
7	कनिष्ठ प्रारूपकार से वरिष्ठ प्रारूपकार	रिक्त पदों के अनुसार पदोन्नति हो चुकी है
8	अनुरेखक से कनिष्ठ प्रारूपकार	पदोन्नति समिति की बैठक हेतु तिथि निर्धारण की जानी है
9	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक	पदोन्नति समिति की बैठक हेतु तिथि निर्धारण की जानी है
10	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से जमादार	
11	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से वाहन चालक	प्रकरण राज्य सरकार में पद सृजन हेतु प्रक्रियाधीन है

भू प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर

वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु स्वीकृत/संशोधित बजट प्रावधान व व्यय का विवरण

राशि रूपये लाखों में

		स्वीकृत प्रावधान 2021–22		राशि रूपये लाखों में
क्र. सं.	बजट शीर्ष मय उपमद	स्वीकृत प्रावधान 2021–22	व्यय का विवरण 01. 04.2021 से 21.12.2021	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या—8 2029—भू—राजस्व, 102—सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य, (01)—प्रधान कार्यालय कर्मचारी वर्ग—प्रतिबद्ध			
	01—संवेतन	500.00	370.16	
	03—यात्रा व्यय	2.00	1.94	
	04—चिकित्सा व्यय	4.00	0.47	
	05—कार्यालय व्यय (नवीन व्यय)	31.00	12.19	
	06—वाहनों का क्रय	00.01	—	
	07—कार्यालय वाहनों का संचालन एवं संधारण	0.60	0.52	
	29—प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय	5.00	0.36	
	32—डिक्रीकर (प्रभृत)	0.01	0.00	
	36—वाहनों का किराया	0.01	0.00	
	37—वर्दियां तथा अन्य सुविधाएं	0.33	0.22	
	41—संविदा सेवाएं	6.00	4.27	
	62—कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्सम्बन्धी संचार व्यय	1.50	0.82	
	योग:- दत्तमत प्रभृत	550.45 0.01	390.95 0.01	
2.	(02) जिला कर्मचारी वर्ग—प्रतिबद्ध			
	01—संवेतन	3200.00	1724.70	
	02—मजदूरी	0.25	0.00	
	03—यात्रा व्यय	60.00	21.98	
	04—चिकित्सा व्यय	20.00	6.83	
	05—कार्यालय व्यय	40.00	20.08	
	09—किराया, रेट और कर/रॉयल्टी	12.60	3.34	
	36—वाहनों का किराया	40.00	18.28	
	37—वर्दियां तथा अन्य सुविधाएं	1.03	0.50	
	39—मुद्रण व्यय	21.00	19.07	
	41—संविदा व्यय	0.01	0.00	
	62—कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्सम्बन्धी संचार व्यय	2.00	0.88	
	योग :- दत्तमत	3396.89	1815.66	

	बजट शीर्ष मय उपमद	राज्यनिधि	केन्द्रीय सहायता	योग	1.4.2021 से 21.12. 2021 तक व्यय
3.	2029—भू—राजस्व, 103—भू—अभिलेख, (04)—भू—अभिलेख सुधार योजना (भू प्रबन्ध आयुक्त के माध्यम से) [02]—भू प्रबन्ध विभाग का आधुनिकीकरण (केन्द्र प्रवर्तित योजना)				
	12— सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	—	0.01	0.01	—
	18— मशीनरी साज सामान, औजार एवं संयंत्र	0.01	0.01	0.02	—
	40—अनुसंधान, मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण व्यय	—	0.01	0.01	—
	62—कम्प्युटराईजेशन एंव तत्सम्बन्धी संचार व्यय	—	0.01	0.01	—
	92—सहायतार्थ अनुदान (संवेतन)	—	0.01	0.01	—
	योग:-	0.01	0.05	0.06	—
4.	2029 भू—राजस्व 103—भू—अभिलेख, (09)—वैशिक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला (01)—वैशिक सूचना प्रणाली				
	18— मशीनरी साज सामान / औजार एवं संयंत्र	70.00	0.01	70.01	—
	40—अनुसंधान, मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण व्यय	—	0.01	0.01	—
	62—कम्प्युटराईजेशन एंव तत्सम्बन्धी संचार व्यय	0.01	0.01	0.02	—
	योग :-	70.01	0.03	70.04	—
5.	2029 भू—राजस्व 789—अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) भू—प्रबन्ध विभाग के माध्यम से [01] भू—प्रबन्ध विभाग का आधुनिकीकरण (केन्द्र प्रवर्तित योजना)				
	18—मशीनरी साज सामान / औजार एवं संयंत्र	—	0.01	0.01	
	40—अनुसंधान, मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण व्यय	—	0.01	0.01	
	62—कम्प्युटराईजेशन एंव तत्सम्बन्धी संचार व्यय	—	0.01	0.01	
	योग :-	—	0.03	0.03	
6.	2029 भू—राजस्व 796—जनजाति क्षेत्र उपयोजना (01) भू—प्रबन्ध विभाग के माध्यम से [01] भू—प्रबन्ध विभाग का आधुनिकीकरण (केन्द्र प्रवर्तित योजना)				
	18—मशीनरी साज सामान, औजार एवं संयंत्र	—	0.01	0.01	
	40—अनुसंधान, मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण व्यय	—	0.01	0.01	
	62—कम्प्युटराईजेशन एंव तत्सम्बन्धी संचार व्यय	—	0.01	0.01	
	योग	—	0.03	0.03	

क्र.सं.	बजट शीर्ष मय उपमद	स्वीकृत प्रावधान 2021-22	व्यय का विवरण 1.4. 2021 से 21.12.2021 तक	विशेष विवरण
7.	बजट शीर्ष 2059—लोक निर्माण कार्य, 80—सामान्य, 053—रख रखाव तथा मरम्मत, 23—भू—प्रबन्ध विभाग. के माध्यम से (प्रतिबद्ध)			
	21— अनुरक्षण एवं मरम्मत	25.00	0.20	
	योग :-	25.00	0.20	
8	बजट शीर्ष 4059— लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत व्यय 80— सामान्य 051—निर्माण (52)—सामान्य भवन (भू—प्रबन्ध विभाग)			
	17— वृहद् निर्माण (आयोजना)	32.74	0.00	
	योग :-	32.74	0.00	

भू-प्रबन्ध विभाग संगठन का ढांचा

भू प्रबन्ध आयुक्त

मुख्य कार्यालय	भू-प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान	ओल्ड रिकार्ड	वर्कस्टेशन	एकल खिड़की
अतिरिक्त भू-प्रबन्ध आयुक्त 1 वरिष्ठ लेखाधिकारी 1 सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी (आर.टी.एस.) 1 सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी (आर.टी.एस.) 2 मुख्य विधि सहायक 1 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर 1 प्रोग्रामर 1 सूचना सहायक 5 सदर मुन्सरिम 5 निरीक्षक 1 भू-मापक 7	इन्स्ट्रक्टर (आर.टी.एस.) 1 भू-मापक 1	निरीक्षक 1 वरिष्ठ प्रारूपकार 1 भू-मापक 2 कनिष्ठ प्रारूपकार 2 अनुरेखक 1	भू-मापक 3 निरीक्षक 1	भू-मापक 0

क्षेत्रीय कार्यालय

क्र.सं.	भू—प्रबन्ध अधिकारी	भू—प्रबन्ध अधिकारी	स.भू.प्र.अ. आर.ए.एस.	स.भू.प्र.अ. आर.टी.एस.	स.मु.	निरीक्षक	भू—मापक
1.	जयपुर	1	2	3	1	25	100
2.	भरतपुर	1	..	4	1	15	60
3.	अजमेर	1	..	3	1	14	60
4.	बीकानेर	1	1	3	1	15	60
5.	अलवर	1	..	4	1	17	62
6.	कोटा	1	..	3	1	15	60
7.	सीकर	1	..	4	1	15	60
8.	जोधपुर	1	1	2	1	15	59
9.	उदयपुर	1	1	2	1	15	60
10.	टोंक	1	..	3	1	15	60
11.	भीलवाडा	1	..	3	1	14	59
	योग	11	5	34	11	175	700

नोट:- राजस्व (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 द्वारा राजस्थान राजस्व (भू—अभिलेख, भू—प्रबन्ध एवं उपनिवेशन) अधीनस्थ सेवा नियम 2019 दिनांक 21.11.2019 से लागू किये जाने पर इस विभाग में सृजित भू—मापक एवं निरीक्षक के रिक्त पदों को डाईग कैडर घोषित किये जाने के फलस्वरूप इस विभाग में 702 पद पटवारियों के नाम से नवसृजित किये जाकर उक्त पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन हैं।

कार्यालय भू—प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर

स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण दिनांक 31.12.2021 की स्थिति

क्र. सं	कार्यालय	सदर मुंसरिम		निरीक्षक		भू—मापक		वरिष्ठ प्रारूपकार		कनिष्ठ प्रारूपकार		अनुरेखक		वाहन चालक		मशीन ऑपरेटर		जमादार		चतु.श्रे.क.		
		स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	
1	मुख्यालय	5	5	3	—	15	14	1	—	2	2	1	1	1	—	—	—	3	3	17	7	
2	जयपुर	1	1	25	12	100	99	1	1	1	1	1	1	—	—	1	—	2	2	20	9	
3	जोधपुर	1	1	15	15	59	59	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	6	3	
4	उदयपुर	1	1	15	11	60	59	—	—	1	1	3	3	—	—	—	—	1	—	9	6	
5	बीकानेर	1	1	15	12	60	60	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	6	4	
6	सीकर	1	1	15	9	60	60	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	7	4	
7	अलवर	1	1	17	13	62	61	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1	8	3	
8	भरतपुर	1	1	15	12	60	60	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	6	4	
9	कोटा	1	1	15	14	60	59	1	1	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	6	6
10	टोंक	1	1	15	11	60	60	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	6	3	
11	भीलवाड़ा	1	1	14	11	59	58	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	5	5	
12	अजमेर	1	1	14	12	60	60	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	1	1	7	4	
	योग	16	16	178	132	715	709	5	3	12	10	9	7	1	—	3	1	14	13	103	58	

नोट:-

- श्री रविन्द्र कुमार यादव च.श्रे.कर्म. को मु.का. के आदेश क्रमांक 5230 दिनांक 08.07.2021 के द्वारा भू—प्रबन्ध अधिकारी, अलवर से निलम्बित किया जाकर इनका पदस्थापन मुख्यालय में किया गया, ये भूप्रप्र अलवर की स्ट्रेन्थ में ही शामिल है।

कार्यालय भू—प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर

स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण दिनांक 31.12.2021 की स्थिति

क्र. सं	कार्यालय	प्रशासनिक अधिकारी		अति. प्रशासनिक अधिकारी		सहा. प्रशासनिक अधिकारी		वरिष्ठ सहायक		कनिष्ठ सहायक		निजी सचिव		व. निजी सहायक		निजी सहायक		शीघ्र लिपिक		लेखाकार		क. लेखाकार			
		स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त		
1	मुख्यालय	2	—	2	—	7	4	14	6	25	—	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	2	1		
2	जयपुर	—	—	1	—	4	2	9	4	21	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	
3	जोधपुर	—	—	1	—	3	2	6	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
4	उदयपुर	—	—	1	1	3	3	6	3	8	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	
5	बीकानेर	—	—	1	1	3	2	6	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	
6	सीकर	—	—	1	1	3	2	6	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	
7	अलवर	—	—	1	—	3	2	6	1	8	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	
8	भरतपुर	—	—	1	—	3	1	6	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	
9	कोटा	—	—	1	—	3	3	6	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	
10	टोंक	—	—	1	1	3	3	6	6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
11	भीलवाड़ा	—	—	1	1	3	3	6	4	8	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	
12	अजमेर	—	—	1	—	3	3	6	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	योग	2	—	13	5	41	30	83	39	126	5	1	1	1	—	1	—	8	3	1	—	13	2		

नोट:-

- वरिष्ठ निजी सहायक को मुख्य कार्यालय से आदेश क्रमांक 1995–2008 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा कार्याव्यवस्था पर भू—प्रबन्ध अधिकारी, बीकानेर में पदस्थापित है।
- श्री भागीरथ प्रसाद यादव, कनिष्ठ सहायक को मु.का. के आदेश क्रमांक 9687–95 दिनांक 30.09.2021 के द्वारा मुख्य कार्यालय से निलम्बित किया जाकर इनका पदस्थापन मुख्यालय कार्यालय भूप्रअ टोंक में किया गया, ये मु.का. की स्ट्रेन्थ में ही शामिल है।
- दो अति. प्रशा. अधिकारियों का वेतन आहरण प्रशा. अधि. के रिक्त पदों के विरुद्ध आहरण की स्वीकृति।
- श्री हनुमान सिंह, कनिष्ठ सहायक को कोटा से निलम्बित किया जाकर इनका पदस्थापन भूप्रअ, भीलवाड़ा में किया गया।
- एक अति. प्रशा. अधिकारी को कार्यमुक्त किया जाना शेष है।

कार्यालय भू—प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर
स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण दिनांक 31.12.2021 की स्थिति

क्र. सं	कार्यालय	भूप्र आयुक्त		अति भूप्र आयुक्त		भूप्र अधिकारी		स.भूप्र.अ. (आर.ए.एस.)		स.भूप्र.अ. (आर.टी.एस.)		प्रशिक्षक (आर.टी.एस.)		नायब तहसीलदार		वरिष्ठ लेखाधिकारी		व.वि.अ.		प्रोगामर		सहा.प्रोगामर		सूचना सहायक		
		स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	
1	मुख्यालय	1	—	1	1	—	—	1	—	2	1	1	1	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	5	—	
2	जयपुर	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	जोधपुर	—	—	—	—	1	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	उदयपुर	—	—	—	—	1	—	1	1	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	बीकानेर	—	—	—	—	1	—	1	—	3	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	सीकर	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	अलवर	—	—	—	—	1	—	—	—	4	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	भरतपुर	—	—	—	—	1	1	—	—	4	4	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	कोटा	—	—	—	—	1	1	—	—	3	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	टोंक	—	—	—	—	1	—	—	—	3	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	भीलवाड़ा	—	—	—	—	1	1	—	—	3	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	अजमेर	—	—	—	—	1	1	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग	1	—	1	1	11	5	6	1	36	20	1	1	9	7	1	—	1	—	1	—	1	—	5	—	

गत तीन वर्षों के लक्ष्य एवं उपलब्धि का तुलनात्मक स्टेटमेन्ट

क्र. सं.	आईटम	यूनिट	लक्ष्य वर्ष 01.01.18 से 31.12.18	उपलब्धियां 01.01.18 से 31.12.18	लक्ष्य वर्ष 01.01.19 से 31.12.19	उपलब्धियां 01.01.19 से 31.12.19	लक्ष्य वर्ष 01.01.20 से 31.12.20	उपलब्धियां 01.01.20 से 31.12.20	लक्ष्य वर्ष 01.01.21 से 31.12.21	उपलब्धियां 01.01.21 से 31.12.21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सर्वेक्षण	वर्ग किलोमीटर	—	—	लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं	—	लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं	—	लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं	—
2	तरमीम सर्वे	वर्ग किलोमीटर	—	2200 ख0न0	—	—	—	—	—	—
3	रकबा बरारी कार्य	खसरा नम्बर	19335	5535	—	—	—	—	—	—
4	मिलान क्षैत्रफल सर्वे	खसरा नम्बर	17708	10890	—	—	—	—	—	—
5	मिलान क्षैत्रफल तरमीम	खसरा नम्बर	3957	4120	—	—	—	—	—	—
6	अभिलेखन	खसरा नम्बर	18904	27816	—	—	—	—	—	—
7	भूमि वर्गीकरण कार्य	खसरा नम्बर	30729	32468	—	—	—	—	—	—
8	तरतीब कार्य	खसरा नम्बर	16518	24819 तथा 5120 खाते	—	—	—	—	—	—
9	तैयारी पर्चा खतौनी	खसरा नम्बर	11721	29877 तथा 900 खाते	—	—	—	—	—	—
10	पर्चा खतौनी तस्दीक	खसरा नम्बर	11721	26707 तथा 4637 खाते	—	—	—	—	—	—
11	तैयारी मिसल बंदोबस्त	नामा0 सं0	32472	52644	—	—	—	—	—	—
12	ट्रेस तैयारी	खसरा नम्बर	66392	18841	—	—	—	—	—	—

पारम्परिक पद्धति में उपलब्धियों में कमी के कारण

- पटवार तरमीम अप्राप्त, राजस्व विभाग की त्रुटियों एवं बदरों का निस्तारण नहीं होना एवं आदिनांक सेग्रीगेटेड राजस्व जमाबन्दी अप्राप्त होना।
- मतदाता सूची बीएलओ कार्य में स्टाफ कार्यरत होना एवं सीमाज्ञान में राजस्व विभाग को तकनीकी सहयोग में स्टाफ उपलब्ध करवाना।
- आर.टी.एस. एवं पटवारीगण को प्रशिक्षण में स्टाफ कार्यरत होना।
- भू मापकों के पद रिक्त होना।
- डीआईएलआरएमपी अन्तर्गत जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसील कार्यालयों में एजेन्सी के साथ तरमीम इत्यादि में कार्मिकों का कार्यरत रहना।
- डीआईएलआरएमपी योजना अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा सर्वे /रि-सर्वे कार्य में कार्मिकों का कार्यरत होना।
- भू प्रबन्ध संक्रियाधीन तहसीलों के यथारिति बन्द घोषित होने के कारण।
- * पारम्परिक पद्धति का कार्य समाप्त प्राय है तथा वर्तमान में DILRMP योजना के अन्तर्गत राज्य के 11 जिलों (जयपुर, टोंक, झाँलावाड़, भीलवाड़ा, जोधपुर, बांसवाड़ा, राजसमन्द, बाडमेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर एवं अजमेर जिले की चार तहसीलें पुष्कर पीसांगन, अजमेर, नसीराबाद) में सर्वे /रि-सर्वे का कार्य भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सम्पादित करवाया जा रहा है।

राजस्थान सरकार

कार्यालय जागीर एवं खुदकाशत आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 01.01.2021 से 31.12.2021

भू-प्रबन्ध आयुक्त पदेन तौर पर जागीर आयुक्त है। इनकी सहायता के लिए अतिरिक्त भू-प्रबन्ध आयुक्त पदेन अतिरिक्त जागीर आयुक्त का पद स्वीकृत है। मुख्यालय पर दो वरिष्ठ लिपिक हैं, एक कनिष्ठ लिपिक व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं। जिले में जागीर सम्बन्धी कार्य अतिरिक्त जिला कलक्टर (जागीर) देखते हैं एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर अपने स्टाफ से ही जागीर सम्बन्धी कार्य लेते हैं।

जागीर पुनर्ग्रहण सम्बन्धी कार्य का विवरण निम्नानुसार है—

क्र.सं.	जागीर पुनर्ग्रहण सम्बन्धी कार्य का विवरण	लंबित प्रकरण	निर्णीत	अवशेष
1.	मुआवजे दावे से सम्बन्धित प्रकरण	03	—	03
2.	निजी सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रकरण	17	00	17
3.	खुदकाशत भूमि आवंटन से सम्बन्धित प्रकरण	45	—	45
4.	उत्तराधिकारी नियुक्त केसेज			20
5.	मुआवजे के रूप में भूतपूर्व जागीरदारों को बॉण्डस के पेटे भुगतान करना शेष			रु 19,75,990.19

सार-संक्षेप (EXECUTIVE SUMMARY)

सर्वेक्षण एवं भू-अभिलेख तैयार करने में भू-प्रबंध विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भू-प्रबन्ध विभाग पारम्परिक पद्धति से सर्वेक्षण एवं अभिलेख कार्य हेतु विशेषज्ञ एजेन्सी के रूप में कार्य करता है। सर्वेक्षण एवं अभिलेखन कार्य के सम्पादन हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956, राजस्थान भू-राजस्व (सर्व, अभिलेख तथा बन्दोबस्त) (सरकारी) नियम-1957 एवं सुसंगत नियमों में प्रावधान निहित है। भू-प्रबन्ध विभाग तकनीकी कार्य के अन्तर्गत राजस्व एजेन्सी द्वारा जटिल प्रकरणों (सीमाज्ञान) में भू-प्रबन्ध विभाग से तकनीकी सहयोग की मांग किये जाने पर राजस्व एजेन्सी को तकनीकी सहयोग उपलब्ध करा जटिल प्रकरणों का निस्तारण पारम्परिक पद्धति एवं आधुनिक पद्धतियों से कर रहा है।

वर्तमान में विभाग पारम्परिक पद्धति से आधुनिक तकनीक की ओर बढ़ रहा है। इस हेतु DILRMP के तहत भारत सरकार से प्राप्त राशि से आधुनिक तकनीक के माध्यम से राज्य के 13 जिले क्रमशः टॉक. भीलवाड़ा, झालावाड़, बाड़मेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, राजसमन्द, जोधपुर, बासंवाड़ा, अजमेर एवं बीकानेर में सर्व कार्य करवाया जा रहा है। भू-प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान में STI के मार्फत ट्रेनिंग दी जाकर कार्मिकों को आधुनिक तकनीक से होने वाली सर्व पद्धति से दक्ष किया जा रहा है।

DILRMP के आधुनिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण एवं अभिलेखन से आमजन/कृषकों को भू-अभिलेख आदिनांकित होकर एकल खिड़की पर उपलब्ध हो सकेगा। इस पद्धति से किया गया सर्वेक्षण/नक्शे धरातलीय विशिष्टियों का वास्तविक प्रतिबिम्ब होगा एवं भू-अभिलेख भू-स्वामित्व का सही चित्रण करने वाला होगा। DILRMP परियोजना के क्रियान्वयन में यह विभाग Nodal Department का कार्य कर रहा है। मैप डिजिटाइजेशन कार्य राज्य की सभी तहसीलों में किया जा रहा है। अब तक 321 तहसीलों के भू-अभिलेख को आमजन के उपयोग हेतु ऑनलाइन किया जा चुका है।